समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 15-02-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
2.	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	पुरैनी में कृषि मेला में प्रतिनियुक्त।
3.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
4.	डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन–प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदा0 का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	(एन0आई0सी0) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी के साथ सोमवारीय बैठक की शुरुआत की। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विडियो कॉन्फ्रेंस हेतु प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी को एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस संबंध में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विशेष प्रशिक्षण का कार्यशाला आयोजित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस हेतु प्रत्येक प्रखण्ड के आई0टी0 सहायक अथवा दक्ष कार्यपालक सहायक को प्रशिक्षण देकर विडियो कॉन्फ्रेंस की जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आगामी सोमवारीय बैठक से विडियो कॉन्फ्रेंस के आयोजन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सके।
2.	सांख्यिकी (जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)	जिलाधिकारी द्वारा कृषि गणना एवं लघु सिंचाई गणना के बारे में पृच्छा की गयी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गणना का कार्य प्रारंभ है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि इस महीने के 17/18 फरवरी, 2016 को प्रगणनक के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना सुनिश्चित करें।

3.	आपदा (प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन)	कृषि अनुदान के वितरण के बारे में पृच्छा की गयी एवं अगले सोमवारीय बैठक में प्रतिवेदन उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। बर्तन का भी विस्तृत विवरणी लेने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा डी0सी0 विपत्र के बारे में पृच्छा की गयी एवं बांकी डी0सी0 विपत्र तुरंत भेजवाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को दिया गया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसी महीने में श्रीमती एस0 जलजा, स्पेशल रिपोर्टर, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का आगमन मधेपुरा जिले में हुआ था। श्रीमती जलजा द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बन रहे शौचालयों की समीक्षा की गयी। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम के तहत 39 पंचायतों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन 39 पंचायतों में 03 पंचायत यथा- भान टेकठी, बभनगामा एवं बालम गढ़िया को मार्च, 2016 तक खुले शौच से मुक्ति दिला दी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में उक्त पंचायतों के मुखिया की बैठक आयोजित करने का निदेश उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को एक कमिटी जिसमें लाभुक /कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 /जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सदस्य के रूप में नामित रहेंगे एवं शौचालय निर्माण की निगरानी करेंगे।
4.	डी0आर0डी0ए0 (उप विकास आयुक्त)	इंदिरा आवास सहायकों की बैठक आहूत करने का निदेश उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को दिया गया। 13वीं /14वीं /बी0आर0जी0एफ0 की राशि हस्तगत करने के बारे में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से पृच्छा की गयी। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि पंचायत के मुखिया को राशि हस्तांतरित कर दी गयी है।
5.	कन्या विवाह योजना (डी0पी0ओ0, आई0सी0डी0एस0)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कन्या विवाह योजना का डाटा सभी प्रखण्डों से प्राप्त नहीं हुआ। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि डाटा जितने प्रखण्ड से प्राप्त हुआ, उसका सी0डी0 बनाकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेज दें, ताकि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आम सभा हेतु एक तिथि निर्धारित करने एवं 01 प्रखण्ड में एक ही दिन समय 11:00 बजे पूर्वा0 आम सभा की बैठक आयोजित करवाने हेतु निदेशित करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि पैनल से चुने गये सेविका /सहायिका को नियोजन पत्र दिये जाने के समय विडियोग्राफी कराने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेशित करें।
6.	कोशी पुनर्वास (उप विकास आयुक्त /डी0पी0एम0 कोशी पुनर्वास)	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोशी पुनर्वास के तहत राशि विमुक्ति हेतु चेक काट दी गयी। उप विकास आयुक्त को अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

7.	पंचायत (जिला पंचायत राज पदाधिकारी)	जिलाधिकारी द्वारा पंचायत चुनाव के निमित्त वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि घैलाढ़ पंचायत से एक मामला प्राप्त हुआ, जिसे जांच हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जितनी भी आपत्ति प्राप्त हो रही है, उसके मद्देनजर मतदाता सूची के विखण्डन में आपत्ति के तहत मुहर लगाया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा पिछले पंचायत चुनाव के डी0सी0 बिल के बारे में पृच्छा की गयी। बताया गया कि डी0सी0 बिल बांकी है। जिलाधिकारी द्वारा डी0सी0 बिल का समायोजन एवं अगले सोमवारीय बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी, का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा पंचायत चुनाव हेतु एक चेक लिस्ट तैयार करवाने का निदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही पंचायत चुनाव हेतु सभी सेलों को गठित कर प्रखण्ड को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उस सेल में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा जा सके।
8.	(शिक्षा) जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा केन्द्राधीक्षकों की एक बैठक दिनांक 18/19 फरवरी, 2016 तक आयोजित करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया एवं उसकी एक सूची सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी को देने का निदेश दिया गया, ताकि सत्यापन कराया जा सके। सभी केन्द्राधीक्षकों का मोबाईल ग्रुप बनाने का निदेश दिया गया।
9.	भवन निर्माण (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान)	जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा से विद्यालय भवन निर्माण के बारे में पृच्छा की गयी। बताया गया कि भवन नहीं बनाने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी की कार्रवाई की गयी। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे शिक्षक जो सेवानिवृत हो गये हो एवं राशि की निकासी कर लेने के बावजूद भी भवन निर्माण कार्य नहीं किये हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज कर सर्टिफिकेट केस कर राशि की वसूली की जाए। नियोजित शिक्षक द्वारा भवन नहीं बनाया जाता है, तो उसे निलंबित करें, उसके बाद भी नहीं बनाता है, तो नियोजन बर्खास्तगी हेतु नियोजन इकाई को पत्राचार करें।
10.	(मध्याह्न भोजन योजना), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि कितने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बंद है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि वैसे विद्यालय जहां खाद्यान्न के कारण मध्याह्न भोजन बंद है, वहां खाद्यान्न आज से उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि उत्तरदायित्व तय करके स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करें।
11	स्वास्थ्य	जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन से प्रतिनियोजन शून्य का प्रमाण-पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को हर सप्ताह अधिक से अधिक दो प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र /अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र /उपकेन्द्र की जांच हेतु आदेश पत्र जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत करवाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा कालाजार के डी0सी0 विपत्र के बारे में पृच्छा की गयी एवं निदेशित किया गया कि डी0सी0 विपत्र का समायोजन ससमय सुनिश्चित करें।